

**Transfer of KV Teachers in Violation of ;
Guidelines**

3441. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2155 given in the Rajya Sabha on the 17th December, 1993 and state:

(a) what are the details of teachers who have been transferred to Kendriya Vidyalayas of Delhi, Lucknow, Rangpuri, NOIDA, Bhopal and Kanpur during the current session in violation of availability of vacancies and transfer guidelines, in this regard, category-wise; and

(b) the justification in each case and the Authority/Officer responsible for effecting such transfers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): (a) and (b) There is no violation of the transfer guidelines notified by the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The transfer guidelines are clear and it provides for relaxation by the Commissioner, KVS wherever required.

At no time the total number of teachers posted in the Kendriya Vidyalaya in each region exceeds the total sanctioned strength of teachers in that region. The adjustment of teachers within the region school-wise but without exceeding the sanctioned strength of the region as a whole, is a continuous process attended to by the Assistant Commissioners of the region from time to time, taking into account the exigencies such as teachers going on leave; transfer on compassionate grounds ; non availability of teachers in particular subjects in different schools etc. Such arrangements are made within the parameters laid down in the transfer guidelines.

Education Officer in Kendriya Vidyalaya

3442. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

] (a) whether it is a fact that the minimum age of an applicant for the post of Principal of Kendriya Vidyalayas is 35 while the maximum age of an applicant for the post of Education Officer which is a higher post, is also 35 years ; and

(b) if so the reasons therefor;

(c) whether the upper age limit in respect of Education Officer is being revised in the ensuing meeting of the Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan ; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) In order to induct bright young persons at senior management level, the maximum age limit for Education Officer was fixed at 35. In response to certain representation the Board of Governors has decided to review the age limit.

Chowkidars in Kendriya Vidyalayas

3443. SHRI SHIV CHARAN SINGH : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Group D employees of Kendriya Vidyalayas, undertaking duty as Chowkidars, have to work for 14 or more hours a day at a stretch for which they are not paid overtime allowance admissible to the central Government employees; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA) : (a) and (b) As per the existing instructions, working hours of the Chowkidars start after the closing of the Vidyalayas and end the next

day when the Vidyalayas reopen. No overtime is paid to them for performing their normal duties. However, they are entitled to get Over Time Allowance, if they are put on duty on off days, national and other holidays admissible to them.

95-L-J(D)D)19RSS—18

गैस पेपरों का प्रकाशन

3444. श्रीमती सत्या बहिन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अध्ययकों द्वारा द्यूशनों का सहारा लेने का प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं :

(ख) सरकार द्वारा अवश्यमावी सफलता का नाम पर कुछ शिक्षण केंद्रों द्वारा प्रकाशित गैस पेपरों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है, और

(ग) क्या सरकार इन गैस पेपरों की विक्री को निष्प्रभावी बनाने के लिये पाठ्यक्रम और प्रश्न-पत्र तैयार करने की योजना में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो क्या इस कार्य में अध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जावेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उत्तर :
(कुमारी शैलजा) :

(क) केन्द्रीय गिविल सेवा (आचरण नियमावली) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के शिक्षकों द्वारा, प्राइवेट द्यूशन करना पहले से ही निषेध है। जहाँ तक राज्यों में शिक्षकों द्वारा द्यूशन करने से रोकने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे शिक्षकों द्वारा प्राइवेट द्यूशन करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं। कुछ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों

के शिक्षा अधिनियम भी प्राइवेट द्यूशनों को प्रतिबन्धित करते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, परीक्षा पद्धति को सुधारने के लिए कुछ कार्यात्मक तरीकों को अपनाने का निर्धारण किया गया है। इन उपायों में स्कूलों द्वारा सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन करना भी एक उपाय है जिसमें स्वैच्छिक तथा गैर शिक्षक पहलुओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुशासित सभी कार्यात्मक तरीकों, जिनमें सतत एवम् विस्तृत मूल्यांकन भी शामिल हैं, को सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा देश के विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों को परिचालित किया गया है, तथा उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करें। प्रत्येक बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रणाली के सम्बन्ध में सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन सहित परीक्षा पद्धति के सुधार, के इन तरीकों, के कार्यान्वयन की वास्तविक जिम्मेदारी बोर्डों की होती है। सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन के क्रमिक कार्यान्वयन से यह आशा की जा सकती है कि बाह्य परीक्षाओं की प्रधानता तथा गैस पेपरों की मांग कम हो जाएगी। गैस पेपरों के प्रकाशन को प्रतिबन्धित करने का मामला, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभागों की प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। परीक्षा पद्धति में सुधार करने संबंधी सभी विषयों में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की होगी।

तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन के सभी स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए पूर्व बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दसवीं और बारहवीं कक्षाओं जिनकी परीक्षाएं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती हैं, को छोड़कर अब सभी कक्षाओं के लिए सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन पद्धति को केन्द्रीय विद्यालयों में भी अपनाया जाए।